


कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

:: विज्ञप्ति ::

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित निष्प्रयोजित घोषित किये गये शासकीय वाहन को जहां हैं, जैसी हालात में है, के आधार पर नीलाम किये जाने हेतु सील बंद निविदा पद्धति से विक्रय किया जाना है। उक्त हेतु सील बंद निविदायें दिनांक 29.11.2017 को 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। उक्त निविदायें उक्त दिनांक को ही आवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष सायंकाल 5:00 बजे खोली जावेगी। निविदा फार्म एवं विस्तृत शर्तें कार्यालयीन समय में जिला नाजिर नजारत अनुभाग ग्वालियर से राशि 100/-रु जमा कर प्राप्त की जा सकेंगी।

क्र.	वाहन क्रमांक	वाहन का प्रकार एवं मॉडल वर्ष	आफसेट मूल्य	अमानत राशि
1	एम.पी. 02 ए.व्ही. 4188	टाटा इन्डिगो कार/2007	35000	5000
2	एम.पी. 02 ए.व्ही. 5444	एम्बर डर कार/2001	20000	5000
3.	एम.पी. 02 ए.व्ही. 6818	एम्बर डर कार/2002	18000	5000


जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
ग्वालियर (म0प्र0)

निविदा शर्तें

नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को निम्नांकित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा:-

1. इच्छुक व्यक्ति को दिनांक 29.11.17 तक जिला नाजिर, ग्वालियर को प्रति वाहन अमानत राशि के रूप में 5000/-रु जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर के नाम का बैंक ड्राफ्ट जमा कराना होगा। अमानत राशि जमा किये जाने के उपरांत ही उसकी निविदा पर विचार किया जावेगा।
2. सफल निविदाकर्ता द्वारा न्यूनतम ऑफसेट मूल्य से कम मूल्य प्रस्तावित किये जाने पर नीलामी अमान्य की जा सकेगी।
3. प्रत्येक वाहन के लिये पृथक-पृथक निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. अधिकतम निविदाकर्ता के पक्ष में निविदा स्वीकार की जावेगी। सफल निविदाकर्ता को वाहन की समस्त नीलाम राशि या नीलाम राशि का 25 प्रतिशत उसी दिन जमा कराना होगा, ~~शेष राशि~~ शेष राशि आगामी कार्य दिवस में आवश्यक रूप से जिला नाजिर ग्वालियर को जमा करानी होगी। अन्यथा स्थिति में निविदा अमान्य कर, अमानत ^{एवं क्षमता} राशि राजसात की जा सकेगी।
5. सफल निविदाकर्ता को वाहन स्वयं के व्यय से ले जाना होगा।
6. वाहन प्राप्त करने के उपरांत परिवहन विभाग से नवीन रजिस्ट्रेशन का व्यय एवं अन्य व्यय वाहन प्राप्तकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा।
7. वाहन जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में नीलाम होगा। वाहन का अवलोकन करना चाहें तो नजारत अनुभाग, ग्वालियर में कार्यालय समय में सम्पर्क कर अवलोकन कर सकते हैं।
8. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर को रहेगा।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
ग्वालियर (मोप्र0)

निविदा फार्म

निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व अन्य विवरण :-

1. निविदाकर्ता का विवरण:-,

- | | | |
|----------------|---|----------------|
| 1) नाम | - | |
| 2) पिता का नाम | - | |
| 3) पता | - |
..... |
| 4) मोबाईल नं. | - | |
| 5) अन्य विवरण | - | |

2. वाहन का क्रमांक जिस हेतु निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है:-

-

3. वाहन की नीलाम/निविदा प्रस्तावित राशि (राशि शब्दों एवं अंकों में)

.....

4. वाहन की नीलामी संबंधी समस्त शर्तें स्वीकार है अथवा नहीं

-

दिनांक:-...../...../2017

हस्ताक्षर निविदाकर्ता